संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/अ.प्र./2016/ए-4/2243 भोपाल, दिनांक 28/12/2016

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

विषयः—जिलों के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा,साफ—सफाई, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भः— 1. संचालक स्वास्थ्य सेवायें का प्रत्र क्र. अ.प्र. /2016/2212 दिनांक 24.12.2016
2 अतिरिक्त संचालक (वित्त), का पत्र क.6/बजट/2016—17/539 दिनांक 28.11.2016
2. अतिरिक्त संचालक (वित्त), का पत्र क.6/बजट/2016—17/597 दिनांक 24.12.2016

जिला अस्पतालों एवं जिलों की अन्य चिकित्सा संस्थाओं की स्थिति में सुधार करने तथा उनमें गुणवत्तापूर्ण निदान व उपचार उपलब्ध कराने के लिये आपको निर्देश समय—समय पर जारी किये गये हैं। संदर्भित पत्रों द्वारा चिकित्सालयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवायें, साफ—सफाई एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

संदर्भित पत्र क्र. 1 व 2 द्वारा आपको अपर संचालक वित्त द्वारा साफ—सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के लंबितिकरण की स्थिति एवं सफाई की लंबितिकरण की स्थिति के संबंध में परीक्षण कर निराकरण हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग के समस्त जिलों के चिकित्सालयों की वाईटल व्यवस्थाओं जैसे साफ—सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, धुलाई, औषधि एवं सामग्री आदि पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग करें एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त व्यवस्थायें नियमानुसार एवं सही ढंग से चल रही है। प्रतिमाह जिलों से अस्पताल प्रशासन शाखा द्वारा दिनांक 27/10/2016 को प्रेंषित निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करें कि इन व्यस्थाओं के गत माह के देयक आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त हो चुके है एवं देयकों का समुचित परीक्षण कर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जनों द्वारा उनका नियमानुसार उनका भुगतान कर दिया गया है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाती है एवं अस्पताल प्रशासन शाखा से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर उपलब्ध कराने के निर्देश आपको दिये गये है।

यह जानकारी प्राप्त हुई है कि साफ—सफाई, सुरक्षा एवं बायोमेडिकल वेस्ट के देयक एजेन्सी द्वारा कई—कई माह तक प्रस्तुत नहीं किये जाते एवं कई जिलों में देयक प्राप्त होने एवं बजट उपलब्ध होने के बावजूद उनका भुगतान नहीं किया जाता। कई जिलों में निर्धारित मापदण्डों एवं अनुबंध की शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। इस कारण कई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन'स के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। संभाग के नियंत्रक अधिकारी होने के कारण यह आपका उत्तरदायित्व है कि सभी व्यवस्थायें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संधारित की जायें एवं जिलों द्वारा एजेन्सी के

देयक समय पर प्राप्त कर समय पर उनका परीक्षण कर नियमानुसार उनका भुगतान किया जायें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सालयों की वायटल व्यवस्थाओं से संबंधित समस्त गतिविधियों की अपने स्तर से सतत् पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि सभी व्यवस्थायें सुचारू रूप से संचालित की जा रहीं हैं। यदि किसी जिले में किसी आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अनुबंध शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा तो उन्हें नोटिस जारी करवां कर यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप उच्च स्तर का कार्य किया जायें एवं समय पर देयक प्रस्तुत किये जायें। यदि नोटिस देने के बावजूद एजेन्सी के कार्य में सुधार नहीं आता या उनके द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज लगाते हुए देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाते तो ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही करें।

साफ–सफाई, सुरक्षा एवं अन्य मदों में सभी जिलों की गत् वर्ष एवं इस वर्ष के देयकों का परीक्षण कर नियमानुसार सही पाये जाने पर उनके लंबित देयकों के भुगतान कराने एवं कोई कमी पाये जाने पर प्रावधान अनुसार दंडात्मक कटौत्रि कर भुगतान किये जाने के निर्देश आप सब को दिये गये थे। केवल जबलपुर एवं रीवा संभाग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अन्य संभागीय संयुक्त संचालक अपने संभाग में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तीन दिन में प्रस्तुत करें तथा प्रतिमाह इसकी समीक्षा कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिलों से प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट 5 तारीख के पूर्व प्रतिमाह अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ.प्र/2016/ **भोपाल, दिनांक / /2016**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/अ.प्र./2016/C-4/2241, भोपाल, दिनांक 28/12/2016

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः—जिले के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा,साफ–सफाई, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भः— 1. संचालक स्वास्थ्य सेवायें का प्रत्र क्र. अ.प्र. /2016/2212 दिनांक 24.12.2016
2. अतिरिक्त संचालक (वित्त), का पत्र क.6/बजट/2016–17/599 दिनांक 24.12.2016

जिला अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने तथा उनमें गुणवत्तापूर्ण निदान व उपचार उपलब्ध कराने के लिये आपको निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं। संदर्भित पत्रों द्वारा आपको आपकी स्थपना चिकित्सालयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवायें, साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

संदर्भित पत्र क. 2 द्वारा आपको आपके चिकित्सायों के वाईटल व्यवस्थाओं जैसे साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, धुलाई, औषधि एवं सामग्री आदि पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग के निर्देश दिये गये है एवं यह निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालय के तीन अधिकारियों की टीम बनाये एवं इस टीम द्वारा उपरोक्त वाईटल व्यवस्थाओं की सत्त मॉनिटरिंग की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त व्यवस्थायें नियमानुसार चल रही है, इन व्यस्थाओं के गत माह के देयक प्राप्त हो चुके है एवं देयकों का समुचित परीक्षण कर नियमानुसार उनका भुगतान कर दिया गया है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाती है एवं अस्पताल प्रशासन शाखा से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के निर्देश आपको दिये गये है। अभी भी कई जिलों से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है।

कई जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि साफ–सफाई, सुरक्षा एवं बायोमेडिकल वेस्ट के देयक एजेन्सी द्वारा कई–कई माह तक प्रस्तुत नहीं किये जाते एवं कई जिलों में देयक प्राप्त होने एवं बजट उपलब्ध होने के बावजूद उनका भुगतान नहीं किया जाता। कई जिलों में निर्धारित मापदण्डों एवं अनुबंध की शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। इस कारण कई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन'स के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। नियंत्रक अधिकारी होने के कारण यह आपका उत्तरदायित्व है कि सभी व्यवस्थायें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संधारित की जायें एवं एजेन्सी के देयक समय पर प्राप्त किये जायें एवं समय पर उनका परीक्षण कर नियमानुसार उनका भुगतान किया जायें।

यदि आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अनुबंध शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा तो उन्हें नोटिस देकर यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप उच्च स्तर का कार्य किया जायें एवं समय पर देयक प्रस्तुत किये जायें। यदि नोटिस देने के बावजूद एजेन्सी के कार्य में सुधार नहीं आता या उनके द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज लगाते हुए देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाते तो ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार टीम गठित कर उपरोक्त वाईटल व्यवस्थाओं की सतत मॉनिटरिंग करें एवं यह सुनिश्चित करें कि आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा गत माह का बिल आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करा दिये गये है एवं उपरोक्त टीम द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त गतिविधियों में उपलब्ध कराये गये बजट की सतत मॉनिटरिंग करें एवं प्रतिमाह निर्धारित प्रारूप में जानकारी 5 तारीख के पूर्व संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
(स्वास्थ्य सेवायें)
भोपाल,

क्रमांक / अ.प्र / 2016 / भोपाल, दिनांक / / 2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश